मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना

मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना (15 नवम्बर 2011 से लागू) के तहत प्रत्येक परिवार में संस्थागत प्रसव से उत्पन्न प्रथम पुत्री अथवा द्वितीय पुत्री अथवा दोनों प्रसवों से उत्पन्न पुत्री के नाम से जन्म के वर्ष से लेकर लगातार 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 6000 रूपये की दर से कुल 30000 रूपये डाक जमा योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जमा किया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया :

- अभ्यर्थी को अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र में विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा।
- आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. सूची संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- अनाथ बालिका के मामले में अनाथालय/संरक्षणालय के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय में प्रवेश के एक वर्ष के अन्दर एवं बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व तक संबंधित परियोजना के अधिकारी को आवेदन देना होगा।
- द्वितीय प्रसव से उत्पन्न बालिका के मामले में माता या पिता द्वारा बन्ध्याकरण/नसबंदी करा लेने से संबंधित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

लाभ पाने की शर्तें :

- माता-पिता झारखंड के मूल निवासी हों।
- गरीबी रेखा के अन्तर्गत हो अथवा वार्षिक आय 72000 रुपये से अधिक न हो।
- दो बच्चों के बाद दम्पती द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया हो।
- यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार नियोजन की शर्त शिथिल हो जायेगी परन्तु मृत्यु प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
- यदि अनाथ/गोद ली गई बालिका है, तो प्रथम बालिका मानी जायेगी।
- यदि जुड़वा हो तो भी मान्य होगा यदि दोनों बच्चियों होंगी तो दोनों के लिए यह योजना मान्य होगी।
- दूसरी पुत्री के मामले में यह तभी मान्य होगा जब माता या पिता के नसबंदी का प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ संलग्न हो।
- अनाथ बालिका होने पर जन्म के 5 साल तक किया गया पंजीकरण मान्य होगा।
- जन्म के एक वर्ष के अन्दर आवेदन देना अनिवार्य होगा, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म का मामला मान्य नहीं हो पायेगा।
- योजना लागू होने के प्रथम वर्ष यानी 2011-12 में वैसे मामलों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिसमें बच्ची का जन्म 15.11.2010 या इसके बाद हुआ हो। लेकिन ये छूट केवल पहले वर्ष याने योजना लागू होने के वर्ष ही मिलेगी।
- प्रसव संस्थागत हो तथा जन्म प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अस्पताल तथा सक्षम पंचायत/नगर निकाय द्वारा निर्गत हो।

नोट :

- यदि बच्ची का निबंधन सही हुआ हो परन्तु योजना के किसी भी स्तर पर वह निर्धारित आहर्ता प्राप्त नहीं कर पाती हो यानी 5वीं, 8वीं, 10वीं, या 12वीं कक्षा के पूर्व विद्यालय परित्याग कर देती है तो तत्काल प्रभाव से योजना का लाभ उसे नहीं दिया जा सकेगा।
- बच्ची का विवाह 18 वर्ष से कम आयु होने पर आगे किसी भी लाभ की हकदार वह नहीं होगी।
- यदि बालिका की असमय मृत्यु हो जाती है तो लाभ का हकदार उसका परिवार नहीं होगा।
- ऐसी किसी भी स्थिति में समस्त राशि/अवशेष राशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।